पत्रांक...SHSB/PM/526/2018 - 1863

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

पटना, दिनांक..15-06-2018..

विषय: संभावित बाढ़ तथा उससे उत्पन्न जलजनित रोग/महामारी की रोकथाम हेतु आवश्यक औषधियों के साथ Snake Venom Antiserum, Rabies Vaccine, ORS, Halazone Tablet एवं Bleaching Powder की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 366(11), दिनांक 03.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य में संभावित बाढ़ एवं इसके कारण जानमाल की क्षति के अलावे जलजनित रोग/महामारी फैलने की संभावना होती है। इसके रोकथाम हेतु यह आवश्यक है कि पूर्व से प्रभावकारी कदम उठाये जाये ताकि बीमारियों एवं आकस्मिकता/आपात की स्थिति में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले मरीजों का समुचित उपचार ससमय किया जा सके। उक्त स्थिति पर नियंत्रण हेतु राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जल जनित रोग एवं महामारी की रोकथाम तथा दस्त/अतिसार से संबंधित आवश्यक औषधियों के साथ-साथ Snake Venom Antiserum, Rabies Vaccine, ORS, Halazone Tablet, Bleaching Powder एवं Lime (चूना) की उपलब्धता आवश्यक है।

2. उक्त के प्ररिप्रेक्ष्य में निदेशित है कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले जिलों में जल जनित बीमारियों एवं महामारी की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभागीय उक्त प्रासंगिक पत्र में निहित आवश्यक औषधियों का समुचित भंडारण बाढ़ से पूर्व करना सुनिश्चित किया जाय। जिन आवश्यक औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों का दर अनुबंध बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है और औषधियों की आपूर्ति की जा रही है, वैसी औषधियों की जिलों में आपूर्ति हेतु विहित प्रक्रियानुसार BMSICL को शीध्र अधियाचना निर्गत की जाय। जिन औषधियों का दर अनुबंध BMSICL द्वारा नहीं किया गया है, वैसी औषधियों का क्रय विहित प्रक्रियानुसार स्थानीय स्तर पर निविदा के माध्यम से बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 एवं समय-समय पर निर्गत विभागीय क्रय अनुदेशों का अक्षरश: पालन करते हुये किया जाय।

3. बाढ़ के दौरान सर्पदंश एवं कुत्ता/सियार के काटने की घटनाएँ बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में Snake Venom Antiserum एवं Rabies Vaccine का भंडारण अल्प होना युक्तिसंगत नहीं होगा। अतएव इसके समुचित उपलब्धता हेतु यह अनिवार्य है कि जिलान्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर Snake Venom Antiserum का 20 भायल एवं Rabies Vaccine का 40 भायल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये इसकी निरंतरता को बनाये रखा जाय, ताकि सर्पदंश एवं कुत्ता काटने की स्थिति में संबंधित मरीज को तत्क्षण उक्त औषधि दिया जा सके।

4. संभावित बाढ़ एवं इससे उत्पन्न जलजनित बीमारियों/अतिसार आदि से संबंधित आवश्यक औषधियों की खपत का नियमानुसार आकलन कर इन औषधियों का समुचित बफर स्टॉक जिला औषधि भंडार में भी अनिवार्य रूप से रखा जाय, ताकि आकस्मिकता एवं अहर्निश सेवा की स्थिति में जिला औषधि भंडार से जिलान्तर्गत अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में इन औषधियों की आवश्यकतानुरूप आपूर्ति त्वरित गति से की जा सके।

5. **जिलान्तर्गत विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों एवं जिला औषधि भंडार में भंडारित/उपलब्ध औषधियों/Medical Devices/Consumables का सक्षम पदाधिकारियों का एक दल गठित करते हुए भौतिक सत्यापन करा लिया जाय और सुनिश्चित किया जाय कि तिथिवाद एवं अवमानक स्तर की औषधियों का भंडारण नहीं हो। औषधियों/Medical Devices/Consumables के अवसान तिथि की गहन समीक्षा कर ली जाय और किसी भी परिस्थिति में इन औषधियों का उपयोग/वितरण नहीं किया जाय। उक्त निदेश के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे एवं उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।**

6. पत्र के साथ विहित प्रपत्र में औषधियों की सूची संलग्न करते हुये निदेशित है कि औषधियों के भंडारण/उपलब्धता संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन दिनांक 20.06.2018 को आहूत राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में लाना सुनिश्चित किया जाय।

7. उक्त निदेशों का तत्परता एवं दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन

15/6/2018

(संजय कुमार)

ज्ञापांक ....1863...   पटना, दिनांक....15-06-2018

प्रतिलिपि:-

- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि स्वयं के स्तर से पहल करते हुये उक्त निदेशों के अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि स्वयं के स्तर से जिलावार अनुश्रवण/समीक्षा करते हुये उक्त निदेशों के अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वा० स० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/2018

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक ....1863.... पटना, दिनांक....15-06-2018

प्रतिलिपि:-

- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/06/2018

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग

अति आवश्यक-बाढ़

जिला का नाम-

बाढ़ के मद्देनजर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता/भंडारण से संबंधित प्रतिवेदन

क्र0 सं0	औषधियों/Medical Device का नाम	वर्तमान उपलब्ध स्टॉक (मात्रा में)	कितनी मात्रा के लिए प्रक्रिया की गई है, जिसका 15 दिनों में स्टॉक उपलब्ध हो जाएगा।
1	ARV		
2	ASVS		
3	ORS		
4	Halazone Tablet		
5	Bleaching Powder		
6	Lime		
7	Gamaxin Powder		
8	Ringer Lactate		
9	DNS 5%		
10	Normal Saline		
11	Dextrose 5%		
12	Zinc Tablet		
13	Co-Trimoxazole Tablet		
14	Tetracyclin Tablet		
15	Erythromycin Tablet		
16	Mebendazole Tablet		
17	Furazolidine		
18	Dexamethansone Injection 4mg/ml		
19	Ondansetron Hydrochloride- Inj.- mg/ml		
20	Cefixime Tablet- 50mg		
21	Cefixime Tablet - 200mg		
22	Ofloxacin Tablet- 200mg		
23	Metronidazole Tablet 400mg		
24	Metronidazole 100ml-IV		
25	Ciprofloxacin 100ml-IV		
26	Domperidone Tablet 10mg		
27	Domperidone Syrup- 5mg/ml		
28	Fluconazole Tablet- 150mg		
29	Transfusion Set/ IV Set		
30	Cotton		